

नीति:		
हेट क्राइम		
नीति कोड:	प्रभावी होने का दिनांक:	पार-संदर्भ:
HAT 1	मार्च 1, 2018	ALT 1 CHA 1 VIC 1 VUL 1 YOU 1.4

“हेट क्राइम” यानि घृणा अपराध ऐसे आपराधिक उल्लंघन हैं जो दूसरों के प्रति अपराधकर्ता के पक्षपात, पूर्वाग्रह, अथवा घृणा से प्रेरित होते हैं और जिनमें सामान्यतः इन्हीं के आधार पर पीड़ितों का चुनाव किया जाता है। ये दूसरों के प्रति कट्टरता और असहिष्णुता से संचालित होते हैं और इन्हें गंभीर मामला माना जाता है।

क्रिमिनल कोड में हेट क्राइम से संबंधित विशिष्ट अपराध या उल्लंघन और सजा देने संबंधी उपबंध दिए गए हैं। इन अपराध उपबंधों में कुछ विशेष प्रकार के घृणा-प्रेरित आचरणों को निषिद्ध किया गया है और ऐसे आचरण के लिए विशिष्ट सजा संबंधी मानदंड दिए गए हैं। सभी अपराधों के लिए, क्रिमिनल कोड में व्यवस्था है कि जब कोई अपराध घृणा से प्रेरित रहा हो तो वह प्रेरणा ही सजा देने में एक प्रेरक कारक होगा।

सामान्यतः चार्ज असेसमेंट गाइडलाइन्स (CHA 1) में उल्लिखित जनहित के कारक हेट क्राइम के लिए अभियोजन के पक्ष में हैं विशेष रूप से जहां:

- किसी पीड़ित को काफी नुकसान पहुंचा हो
- पीड़ित कोई कमजोर स्थिति वाला व्यक्ति रहा हो
- अपराध इन बातों से प्रेरित रहा हो - नस्ल, राष्ट्रीय या जातीय मूल, भाषा, रंग, धर्म, लिंग, आयु, मानसिक या शारीरिक विकलांगता, यौन रुझान, या किसी अन्य ऐसे ही कारक पर आधारित पक्षपात, पूर्वाग्रह या घृणा।
- यह मानने का उचित आधार मौजूद हो कि अपराध जारी रखे जाने या दोहराये जाने की संभावना है

हेट क्राइम वाली सभी क्राउन काउंसिल की रिपोर्टें ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्राउन काउंसल द्वारा किसी रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी को रेफर की जानी चाहिए।

रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी अथवा निर्दिष्ट किए गए वरिष्ठ क्राउन काउंसल को आरोप निर्धारण का निष्कर्ष तय करने से पहले हेट क्राइम पर अपने रीजनल रिसोर्स क्राउन काउंसल से परामर्श करना चाहिए।

A. विशिष्ट हेट क्राइम अपराध – आरोप निर्धारण तथा अटॉर्नी जनरल की सहमति

घृणा प्रचार - *क्रिमिनल कोड* की धारा 318 और 319

क्रिमिनल कोड की धारा 318 किसी पहचान योग्य समूह के विरुद्ध नरसंहार की हिमायत करने या बढ़ावा देने को अपराध बनाती है। धारा 319(1) किसी भी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर, जहां भड़काव से शांति भंग होने की संभावना हो, ऐसे कथन को अपराध बनाती है जो किसी पहचान योग्य समूह के विरुद्ध घृणा को प्रेरित करे। धारा 319(2) निजी बातचीत के सिवाय, किसी भी ऐसे कथन को अपराध बनाती है जो इरादतन किसी पहचान योग्य समूह के विरुद्ध घृणा को बढ़ावा देता हो। इन सभी उपबंधों में "पहचान योग्य समूह" को "जनता का कोई भी ऐसा वर्ग जिसकी रंग, जाति, धर्म, राष्ट्रीय या जातीय मूल, उम्र, लिंग, यौन रुझान, लिंग पहचान अथवा लैंगिक अभिव्यक्ति अथवा मानसिक या शारीरिक विकलांगता द्वारा अलग पहचान की जा सकती हो" के रूप में परिभाषित किया गया है। इनमें से किसी के लिए भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे कथन से वास्तविक घृणा का जन्म हुआ था।

अटॉर्नी जनरल की सहमति की अपेक्षा

क्रिमिनल कोड की धारा 318 और 319(2) के तहत अभियोजनों के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति आवश्यक होती है। अटॉर्नी जनरल की ओर से असिस्टेंट डेप्युटी अटॉर्नी जनरल को अपेक्षित सहमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आरोप तय करने से पहले, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राउन काउंसल द्वारा क्राउन काउंसल को रिपोर्ट की समीक्षा की जानी चाहिए और सिफारिश दी जानी चाहिए कि क्या किसी रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी की सहमति ली जाए, जो निर्णय एवं सिफारिश की समीक्षा करेंगे, और यदि उचित हो, तो अटॉर्नी जनरल की सहमति लेंगे।

घृणा से प्रेरित शरारत - धार्मिक पूजा हेतु संपत्ति एवं पहचान योग्य समूहों द्वारा प्रयोग

क्रिमिनल कोड की धारा 430(4.1) पैराग्राफ (4.101)(a) से (d) में उल्लिखित संपत्ति के संबंध में शरारत करने को एक मिश्रित अपराध (हाइब्रिड ऑफेंस) बनाती है यदि ऐसी शरारत "रंग, जाति, धर्म, राष्ट्रीय या जातीय मूल, उम्र, लिंग, यौन रुझान, लिंग पहचान अथवा लैंगिक अभिव्यक्ति अथवा मानसिक या शारीरिक विकलांगता के आधार पर पक्षपात, पूर्वाग्रह अथवा घृणा से प्रेरित" हो। पैराग्राफ (4.101)(a) से (d) में उल्लिखित संपत्ति की किस्मों में शामिल हैं कोई भवन या संरचना (साथ ही भवन या संरचना की जमीन में या जमीन पर कोई भी वस्तु) जिसका उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक पूजा के लिए किया जाता हो (4.101(a)), अथवा कोई भवन या संरचना (साथ ही भवन या संरचना की जमीन में या जमीन पर कोई भी वस्तु) जिसका उपयोग किसी पहचान योग्य समूह द्वारा मुख्य रूप से उपधारा 318(4) में परिभाषित किए गए अनुसार एक शैक्षिक संस्था के रूप में (4.101(b)), प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, या खेल कार्यकलापों या आयोजनों के लिए (4.101(c)), अथवा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निवास के रूप में (4.101(d)) किया जाता हो।

B. घृणा की प्रेरणा वाले समस्त अपराध - सजा देने में प्रेरक कारक

सभी अपराधों के लिए सजा देने की कार्यवाही पर, जहां क्राउन काउंसल ने निष्कर्ष निकाला हो कि ऐसी पर्याप्त संभावना है कि न्यायालय तय करेगा कि अपराध "जाति, धर्म, राष्ट्रीय या जातीय मूल, भाषा, रंग, धर्म, लिंग, उम्र, मानसिक या शारीरिक विकलांगता, यौन रुझान, लैंगिक पहचान अथवा लैंगिक अभिव्यक्ति या किसी अन्य ऐसे ही कारक पर आधारित पक्षपात, पूर्वाग्रह, अथवा घृणा पर द्वारा प्रेरित" था, क्राउन काउंसल को उचित संदेह के परे प्रेरणा को साबित करने के लिए जरूरी प्रमाण सुनिश्चित करना चाहिए, और यदि उस प्रमाण की अनुमति दे दी जाती है, तो सजा पर इस बात का समर्थन करना चाहिए कि प्रेरणा को क्रिमिनल कोड की धारा 718.2(a)(i) के तहत सांविधिक रूप से लगाया गया अनिवार्य प्रेरक कारक माना जाए।

जहां धारा 318, 319(1), 319(2) अथवा 430(4.1) के तहत विशिष्ट अपराध के अभियोजन में, पक्षपात, पूर्वाग्रह, अथवा घृणा की प्रेरणा का प्रमाण रहा हो जिससे परे भी अपराध का तत्व समझना जरूरी था, क्राउन काउंसल द्वारा न्यायालय को यह प्रस्तुत करने पर विचार करना चाहिए कि अतिरिक्त प्रेरणा क्रिमिनल कोड की धारा 718.2(a)(i) के तहत एक प्रेरक कारक है। ये अलग प्रेरक परिस्थितियां हो सकती हैं भले ही अपराध पहले ही घृणा का रहा हो।

C. पीड़ित प्रभाव विवरण और सामुदायिक प्रभाव विवरण

सजा दिए जाने से पहले, क्राउन काउंसल को *विक्टिम्स ऑफ क्राइम - प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड इन्फॉर्मेशन टु* (VIC 1) और *वल्नेरेबल विक्टिम्स एंड विटनेसेज - ऐडल्ट्स* (VUL 1) की नीतियों के अनुसार *क्रिमिनल कोड* की धारा 722 के अनुसार पीड़ित प्रभाव विवरण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

इसके अलावा, *क्रिमिनल कोड* की धारा 722 के अनुसार, "समुदाय की ओर से कोई व्यक्ति" न्यायालय रजिस्ट्री में एक सामुदायिक प्रभाव विवरण दायर कर सकता है। इस प्रकार के प्रभाव विवरण यह सुनिश्चित करने में विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं कि सजा देने वाले न्यायालयों को हेट क्राइम के सामाजिक प्रभावों की भली-भांति जानकारी रहे।

D. घृणा के प्रचार को हटाना - *इन रेम* उपबंध

क्रिमिनल कोड की धारा 320 और 320.1 *इन रेम* उपबंध प्रदान करती है जिससे न्यायालय को अधिकार मिलता है कि वह उस स्थिति में घृणा के प्रचार की सामग्री को हटाने और नष्ट करने का आदेश दे सकता है जब ऐसी सामग्री किसी ऐसे लिखित प्रकाशन में हो जिसे बिक्री या वितरण के लिए रखा गया हो या किसी ऐसे कंप्यूटर सिस्टम में संभाली गई हो जो ऐसी सामग्री को जनता को उपलब्ध कराता हो। चूंकि इन धाराओं के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति आवश्यक है, अतः ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्राउन काउंसल को मामले की समीक्षा करनी चाहिए और सिफारिश देनी चाहिए कि क्या किसी रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी की सहमति ली जानी चाहिए। उसके बाद वह सिफारिशों की समीक्षा करेगा और यदि उचित हो, तो असिस्टेंट डेप्युटी अटॉर्नी जनरल की सहमति लेगा।

E. वैकल्पिक उपाय

वयस्क और युवा लोगों के लिए, *ऑल्टर्नेटिव मेशर्ज फॉर ऐडल्ट अफेन्डर्स* (ALT 1) तथा *यूथ क्रिमिनल जस्टिस एक्ट - एक्स्ट्राजुडिशियल मेशर्ज* (YOU 1.4) सभी घृणा अपराधों पर लागू होते हैं। अपने सामान्य उपबंधों, नीतियों के अलावा, ALT 1 और YOU 1.4 हेट क्राइम्स के लिए वैकल्पिक उपायों के अनुमोदन हेतु निम्नलिखित विशिष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं (ALT 1 से उद्धरण):

"रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी के लिए जरूरी है कि वे वैकल्पिक उपायों पर विचार हेतु किसी व्यक्ति के रेफरल को तथा किसी भी वैकल्पिक उपाय रिपोर्ट में सिफारिश किए गए विशिष्ट वैकल्पिक उपायों को भी अनुमोदन प्रदान करें।"

इसके अलावा, हेट क्राइम के लिए, ऐसे अनुमोदन केवल तभी प्रदान किए जाने चाहिए जब नीचे दी गई शर्तें पूरी की जाएं:

- पहचान किए गए व्यक्तिगत पीड़ितों से परामर्श किया जाना चाहिए और उनकी इच्छाओं पर विचार किया जाना चाहिए
- आरोपी व्यक्ति का संबंधित अपराध या हिंसा का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए
- आरोपी व्यक्ति को उस कृत्य अथवा चूक की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए जो कथित अपराध का आधार है
- अपराध किसी भी हाल में इतनी गंभीर प्रकृति का न हो कि वह समुदाय की सुरक्षा के लिए खतरा बने